भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2550
दिनांक 05.08.2025 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

2550. श्री गौरव गोगोईः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का इरादा सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित संशोधनों या नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है और राज्यवार और जिलावार ऐसे कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य ने पहले ही स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है:

(घ) वर्तमान में ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कार्यरत महिलाओं की जिलावार कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार स्थानीय शासन में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, परामर्श कार्यक्रम/या जागरूकता अभियान जैसे अतिरिक्त उपायों पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग) भारत के संविधान का अनुच्छेद 243घ, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या और पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करता है। हालाँकि, 21 राज्य और 2 संघ राज्य-क्षेत्र इससे भी आगे बढ़ गए है और अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है।

इसी प्रकार से, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243न, प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण प्रदान करता है, और नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पदों को महिलाओं के लिए, राज्य विधान मंडल द्वारा, विधि द्वारा निर्धारित तरीके से, आरक्षित करने को भी आदेशित करता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 17 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है।

नगरपालिकाओं और पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने के लिए प्रावधान बनाने वाले राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

	पंचायतें	**नगरपालिकाएं**
राज्य	(1) आंध्र प्रदेश, (2) असम, (3) बिहार, (4) छत्तीसगढ़, (5) गुजरात, (6) हरियाणा, (7) हिमाचल प्रदेश, (8) झारखंड, (9) कर्नाटक, (10) केरल, (11) मध्य प्रदेश, (12) महाराष्ट्र, (13) ओडिशा, (14) पंजाब, (15) राजस्थान, (16) सिक्किम, (17) तमिलनाडु, (18) तेलंगाना, (19) त्रिपुरा, (20) उत्तराखंड और (21) पश्चिम बंगाल।	(1) आंध्र प्रदेश, (2) असम, (3) बिहार, (4) छत्तीसगढ़, (5) गुजरात, (6) हिमाचल प्रदेश (7) झारखंड, (8) कर्नाटक, (9) केरल, (10) मध्य प्रदेश, (11) महाराष्ट्र, (12) ओडिशा, (13) पंजाब, (14) सिक्किम, (15) तमिलनाडु, (16) तेलंगानाऔर (17) त्रिपुरा।
संघ राज्य-क्षेत्र	(1) लक्षद्वीप तथा (2) दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव।	(1) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और (2) दिल्ली।

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में रखा गया है। पंचायत-वार निर्वाचित प्रतिनिधियों/महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के ब्यौरे का रख-रखाव मंत्रालय में नहीं किया जाता है।

(ङ) वित्त वर्ष 2022-23 से, यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देकर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि वे नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं का विकास कर सकें और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 (24 जुलाई 2025 तक) तक कुल 25,13,543 डब्ल्यूईआर को प्रशिक्षित किया गया। सेवा प्रदायगी व्यवस्था, नेतृत्व कौशल और पंचायतों से संबंधित विभिन्न विषयों के वर्धित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण से महिला पंचायत के सदस्यों की निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में सौंपे गए कार्यों को करने की क्षमताओं और योग्यताओं में वृद्धि हुई है। महिला पंचायत सदस्यों को जमीनी स्तर पर उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाता है।

जमीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने ग्राम सभाओं से पहले महिला सभाओं को अनिवार्य बनाया है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिले। इसके अलावा, डब्ल्यूईआर के नेतृत्व, संचार और निर्णय लेने के कौशल को और विकसित करने के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया गया है, जो प्रभावी महिला-नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा देता है। मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विषय 9 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक ग्राम पंचायत को एक आदर्श महिला-अनुकूल ग्राम पंचायत में बदलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मार्गदर्शन भी कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य समावेशी, लैंगिक-संवेदनशील शासन मॉडल तैयार करना है जिन्हें पूरे देश में दोहराया जा सके।

इसके अलावा, मंत्रालय ने महिला पंचायत सदस्यों के क्षमता निर्माण में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए एक व्यापक विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है ताकि सुशासन के प्रभावी प्रदायगी हेतु उनके नेतृत्व,प्रबंधकीय, प्रचार –प्रसार एवं वार्ता कौशल को सुदृढ़ किया जा सके। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य महिला पंचायत सदस्यों द्वारा अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना, शासन के विभिन्न पहलुओं पर उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा उन्हें स्थानीय विकास को गति देने के लिए उन्हें सक्षम बनाना है।

***

अनुबंध

दिनांक 05.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2550 के भाग (घ) के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध।

पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कार्यरत महिलाओं की राज्यवार सूची

क्र. सं.	श्रेणी	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	टिपण्णी
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	154414	85593	
2	राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8568	2820	
3	राज्य	असम	24509	उपलब्ध नहीं।	डब्ल्यूईआर की सटीक गणना का संकलन प्रक्रियाधीन है
4	राज्य	बिहार	247658	110964	
5	राज्य	छत्तीसगढ़	174926	98787	
6	राज्य	गोवा	1555	709	
7	राज्य	गुजरात	103397	54164	
8	राज्य	हरियाणा	71455	32892	
9	राज्य	हिमाचल प्रदेश	30578	15250	
10	राज्य	झारखंड	56808	32014	
11	राज्य	कर्नाटक	93801	49554	
12	राज्य	केरल	18365	10055	
13	राज्य	मध्य प्रदेश	395553	204131	
14	राज्य	महाराष्ट्र	28248	14135	27933 ग्राम पंचायतें, 2 ब्लॉक पंचायतें और 2 जिला पंचायतें कार्यरत हैं।शेष ब्लॉक और जिला पंचायतों के चुनाव कोर्ट केस के कारण लंबित हैं।
15	राज्य	मणिपुर	शून्य	शून्य	अक्टूबर 2022 में पंचायतें भंग कर दी गईं। चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।
16	राज्य	मेघालय	लागू नहीं	लागू नहीं	संविधान के भाग IX के अंतर्गत शामिल नहीं है
17	राज्य	मिजोरम	लागू नहीं	लागू नहीं	
18	राज्य	नगालैंड	लागू नहीं	लागू नहीं	
19	राज्य	ओडिशा	106353	57001	
20	राज्य	पंजाब	शून्य	शून्य	ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ब्लॉक और जिला पंचायत के चुनाव प्रक्रियाधीन हैं।
21	राज्य	राजस्थान	11590	6358	
22	राज्य	सिक्किम	1273	655	

23	राज्य	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	दिसंबर 2024 में पंचायत निकाय भंग। चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।
24	राज्य	तेलंगाना	शून्य	शून्य	पंचायतें मई, 2024 में भंग कर दी गई हैं। चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।
25	राज्य	त्रिपुरा	6909	3126	
26	राज्य	उत्तर प्रदेश	677382	276181	
27	राज्य	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	पंचायत चुनाव प्रक्रियाधीन हैं।
28	राज्य	पश्चिम बंगाल	74424	40537	
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप	861	415	
30	संघ राज्य क्षेत्र	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	462	263	
31	संघ राज्य क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	पंचायतें दिसंबर 2023 में भंग कर दी गई। जिससे पीआरआई के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।
32	संघ राज्य क्षेत्र	लद्दाख	शून्य	शून्य	पंचायतें दिसंबर 2023 में भंग कर दी गई। चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।
33	संघ राज्य क्षेत्र	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	पंचायतें दिसंबर 2022 में भंग कर दी गई हैं। चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।
34	संघ राज्य क्षेत्र	पुद्दुचेरी	शून्य	शून्य	जुलाई 2011 में पंचायतें भंग कर दी गईं। चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।

***